न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एंव जिला कलेक्टर ,टोंक

प्रकरण संख्या

01 / 2024

श्री रविन्द्र कुमार यादव, मकान नं. 50, गोपालपुरा गांव, शांति पथ, त्रिवेणी नगर चौराहा, गोपालपुरा बाईपास, जयपुर– 302018

––अपीलार्थी

बनाम

प्रभारी अधिकारी भू–अभिलेख शाखा, कलेक्ट्रेट टोंक

––प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय **दिनांक 13.02.2024**

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत अपील पेश की है। अपीलार्थी द्वारा द्वारा राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 कलेक्टर टोंक को आवेदन पत्र दिनांक 01.11.2023 को प्रेषित/प्रस्तुत करने पर राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक ने पत्र क्रमांक 675–76 दिनाक 07.11.2023 से लोक सूचना अधिकारी एंव प्रभारी अधिकारी भू–अभिलेख शाखा, कलेक्ट्रेट टोंक एवं लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार दूनी को अन्तरित कर प्रार्थी को सूचना उपलब्ध करवाने हेतु लिखा गया। अपीलाण्ट द्वारा निम्न वर्णित सूचना चाही गईः–

1. मिलान क्षेत्रफल ग्राम दूनी तह देवली, हाल तहसील दूनी जिला टोक के ग्राम दूनी के ख. न. 660 से 695 तक की वर्तमान तक की जमाबन्दी की प्रमाणित प्रति उपलब्ध करावें ।
2. राजस्व नक्शा ग्राम दूनी हाल तहसील दूनी जिला टोक की मिलान शीट (नक्शा किश्तवार) संख्या । व 8 की वर्ष 1980–81 व हाल वर्ष 2022–23 तक (दोनों शीटों) की शत –प्रतिशत माप में प्रमाणित प्रति उपलब्ध करावे।
3. राजस्व ग्राम बालापुरा तह. दूनी पटवार हल्का बंथली के राजस्व नक्शे की मिलान शीट (नक्शा किश्तवार) की वर्ष 1980–81 व वर्तमान शत प्रतिशत माप में प्रमाणित प्रति उपलब्ध करावे । बालापुरा की समस्त शीट

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरूद्व अपील प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर कर अपील की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव प्रभारी अधिकारी (भू0 अभिलेख) कलेक्ट्रेट, जिला टोंक को प्रेषित कर पत्र क्रमांक 2 दिनांक 01.01.2024 एवं पत्रांक 56 दिनांक 16.01.2024 से रिपोर्ट तलब की गई। अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलान्ट उपस्थित नही हुए। अपील के साथ संलग्न लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार दूनी के पत्र से जाहिर होता है कि उनके पत्र क्रमांक 113 दिनांक 13.12.2023 से

जिला कलेक्टर
टोंक

अपीलांट को बिन्दू सं0 1 की सूचना प्रेषित कर दी गई है तथा बिन्दू सं0 2 एवं 3 के संबंध में लोक सूचना अधिकारी एंव प्रभारी अधिकारी भू0 अभिलेख शाखा कलेक्ट्रेट टोंक द्वारा पत्र क्रमांकः 436 दिनांक 24.01.2024 से जवाब प्रेषित किया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही जा रही सूचना के संबंध में अपीलार्थी को उनके पत्र क्रमांक 6763 दिनांक 21.12.2023 से सूचित किया जा चुका है। अतः अपील में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से अपील अस्वीकार योग्य है।

फलतः अपील अपीलाण्ट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव प्रभारी अधिकारी भू0 अभिलेख शाखा कलेक्ट्रेट टोंक तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

(डॉ. सौम्या झा)
प्रथम अपील अधिकारी
एंव जिला कलेक्टर टोंक